राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र संख्या 63/2014 जीसीएमएस पो.सं. 2014/00243

दिनेश पुत्र महीप कुमार पौत्र मूलाराम, उम्र 20 वर्ष, जाति जाट, निवासी रताउ, हाल निवासी लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज।

प्रार्थी

बनाम

1. मूलाराम पुत्र स्व. दयालाराम, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी रताउ, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.
2. उप–पंजियक/तहसीलदार महोदय, लाडनूं जिला नागौर राज। अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

निर्णय

दिनांकः– 12.02.2026

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पैतृक कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि सरहद रताउ, तहसील लाडनूं में खेत खतौनी संख्या 436 खसरा नम्बर 355 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1578/361 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1579/370 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। तथा प्रार्थी के पूर्वज दयालाराम का परपौत्र व अप्रार्थी संख्या 1 मालाराम का पौत्र है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के परदादा स्व.दयालाराम के खातेदारी से चली आ रही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 मूलाराम को वादग्रस्त भूमि पैतृकता के आधार पर खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नोशनल शेयर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत निहित है।

प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि से प्रार्थी जिनका इस पैतृक कृषि भूमि में नोशनल शेयर निहित है से वंचित करने के आश्य से वादग्रस्त भूमि को बिना किसी उचित कारण व आवशयकता के विक्रय कर रहे है। अराजीयात भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि होने से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने एवं वर्तमान में आराजियात भूमि अप्रार्थी संख्या 01 जो कि प्रार्थी का दादा है के द्वारा खातेदारी की आड़ में बेचान करने से प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होना संभावित है। यदि खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि का बेचान अन्य पक्ष को किया जाता है तो प्रार्थी को सुविधा एवं संतुलन अभाव होना लाजमी है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को होने से अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री इन्द्रचन्द घोटिया ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का पिता जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है अपने बचपन में ही अपने मासाजी के गोद चला गया था तथा प्रार्थी की जन्म से ही अपने पिता के साथ परिवार सहित रह रहा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित अनुसूची अनुसार पिता के जीवित रहते उसकी सम्पत्ति में उसके पुत्र एवं पौत्र के द्वारा कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए दलील पेश की कि आराजियात भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति होकर अप्रार्थी संख्या 01 जो कि प्रार्थी का दादा है के नाम दर्ज है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत प्रार्थी का उक्त सम्पत्ति में नोशनल शेयर है। अतः प्रार्थी के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का पिता जो अपने बचपन में ही अपने मौसा के गोद चला गया था तथा प्रार्थी अपने परिवार सहित अपने पिता के साथ ही निवासरत है। आराजियात भूमि पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्ववान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का पौत्र है इस तथ्य को अप्रार्थी के द्वारा अस्वीकार होना कथन नहीं किया गया है एवं आराजितयात भूमि भी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि नहीं रही है यह भी कथन अप्रार्थी की ओर से नहीं किया गया है। प्रार्थी का पिता जो कि अपने मौसा के गोद चला गया था एवं आराजियात भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रखता है यह विवाद्यक बिन्दु है का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य पर साबित होना है एवं वाद में साक्ष्य एवं साक्ष्यों का परीक्षण एक विधिवत प्रक्रिया के तहत होना है जिसमें वक्त लगना लाजमी है।

वर्तमान में आराजियात भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है एवं खातेदारी की आड़ में आराजियात भूमि का बैचान/बक्सीस किसी अन्य के पक्ष में नहीं की जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि खातेदारी की आड़ में भूमि का बेचान/बक्सीस कर दिया जाता है तो प्रार्थी पक्ष को अपूर्णिय क्षति एवं बेचान उपरांत प्रार्थी सुविधा एवं संतुलन का अभाव होना भूमि लाजमी है साथ ही वाद ग्रस्त सम्पत्ति पक्षकारान की पुश्तैनी होने से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि भूमि सरहद रताउं, तहसील लाडनूं में खेत खतौनी संख्या 436 खसरा नम्बर 355 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1578/361 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1579/370 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा में से प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का बैचान/हस्तान्तरण/रहन/बक्सीस आदि प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, साथ ही उक्त व्यादेश सरकारी योजनाओं/रास्ता की भूमि आदि पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(मीनू वर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

आदेश आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर बाद टंकण शामिल मिसल किया गया।

(मीनू वर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं